न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 216/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/521

अनवान

1. बद्रीलाल पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

1/1 पन्नालाल पिता बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

1/2 रतनलाल पिता बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

1/3 कृष्णा पत्नी नारायण कुम्हार पुत्री बद्रीलाल कुम्हार निवासी वानिन्दा तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ।

1/4 पारस पुत्री बद्रीलाल पत्नी कालु कुम्हार निवासी रघुनाथपुरा चितौड़गढ।

1/5 गीता पुत्री बद्रीलाल पत्नी अशोक निवासी नया गांव देसुरी जिला पाली।

1/6 सीता पुत्री बद्रीलाल कुम्हार पत्नी भेरूलाल निवासी अनोपपुरा तहसील भोपालसागर जिला चितौड़गढ।

1/7 उदीबाई पत्नी बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

2. माधुलाल पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. रामेश्वर पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. हंसराज पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. नारायण पिता भेरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. शंकर पिता भेरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. गोरधन पिता अमरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 24.04.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भावली, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1169, 1168 किता 2 कुल रकबा 0. 6798 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हम वादीगण के नाम पर बराबर–बराबर हक व हिस्सेनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज हैं। हम वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त कृषि भूमि एवं इसमें उगने वाली फसलों की आवारा मवेशीयों से सुरक्षा के लिये लाखों रूपयों का खर्चा कर एवं परिवार सहित परिश्रम कर रास्ते के किनारे पर कांटो एवं थौहर की बाड़ बनाई है तथा हमनें व हमारे पूर्वज ने हमारी उक्त भूमि पर काफी खर्चा कर उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य की है और आज भी शांतिपूर्वक अपने परिवार सहित काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।
2. यह कि हमने रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही कर रखा है बल्कि हम हमारी कृषि भूमि की सीमा के अन्दर ही काबिज है और हमारी सीमा के अन्दर ही थौहर / कांटो की वर्षों पुरानी बाड़ बनी हुई है और हमारी उक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा में सार्वजनिक रोड़ है जिसके नवीनीकरण का कार्य चल रहा है जिससे हम वादीगण को कोई आपत्ति नही है लेकिन सार्वजनिक रोड़ के दूसरे किनारे पर सरकारी भूमियां है, जहां पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर नाजायज तरीके 3–4 वर्ष पूर्व मकान निर्माण करवा दिये और सरकारी जमीन के साथ ही रास्ते की काफी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जिससे रास्ता संकड़ा हो गया और रास्ता संकड़ा होने से प्रतिवादीगण रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार पर दबाव बनाकर हमारी कृषि भूमि की सीमा पर बनी बाड़ को ध्वस्त कराने एवं हमारी जमीन में अनाधिकृत रूप से रोड निर्माण कराने पर उतारू हो रहे है तथा धमकीयां दे रहे है कि वो हमारी जमीन पर बनी बाड़ को ध्वस्त करके रोड़ बनवायेगें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमारी मर्जी होगी वहां पर रोड़ बनवायेगें, कोई रोकेगा तो उसे झूठे मुकदमें में फसा कर बर्बाद कर देगें। इस प्रकार प्रतिवादीगण अनाधिकार रूप से हमारी भूमि पर निर्मित बाड़ को ध्वस्त कर [illegible] हमारी खातेदारी की कृषि भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

रोड़ निर्माण कराना चाह रहे है तथा वर्तमान में हमारे खेतो में गेहूँ की फसल खड़ी हैं जिसकी सुरक्षा के लिये हम वादीगण हमारी उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर पूर्व में की गई कांटो की बाड को हटाकर पत्थर के खम्भे रोपकर तारबन्दी करवाने एवं झाली लगवाने का कार्य करवा रहे है जिसे करने से भी प्रतिवादीगण हमको रोक रहे है और निरन्तर अड़चने पैदा कर रहे है और खम्भे रोपने के लिये जो खड्डे खोदे थे उनको भी इन लोगों ने मिट्टी से पुनः भर दिये। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। हमने रोड़ की जमीन पर किसी भी रूप में अतिक्रमण नही किया है बल्कि हमारी जमीन के सामने ही रोड़ के दूसरे किनारे पर स्थित सरकारी भूमि पर प्रतिवादीगण ने नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर मकान बनाये और रास्ते में आगे बढ़कर रोड़ पर अतिक्रमण कर रखा है और रोड़ की भूमि पर पक्का निर्माण भी करवा दिया है जिससे मौके पर रास्ता सकड़ा हो गया।

3. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि के हम वादीगण खातेदार काश्तकार है और अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से पीढी–दर–पीढी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण को हमारी बिना अनुमति व सहमति के बाड़ को ध्वस्त करने, रोड़ निर्माण कराने या अन्य किसी प्रकार का कार तामीर करने का कोई हक व अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में बनाकर नाजायज रूप से हमको तंग परेशान करने व जमीन की उपजाऊता, उर्रवरकता को नष्ट करने एवं हमकों नाजायज रूप से नुकसान पहुँचाने की नियत से मनमाने तरीके से हमारे खाते व कब्जेसुदा भूमि पर बनी बाड़ को अवैध तरीके से ध्वस्त कर रोड बनवाना चाह रहे है। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित हम वादीगण के कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि पर निर्मित बाड़ को ध्वस्त नहीं करें, किसी प्रकार से रोड निर्माण नही करावे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचावे, हमारे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का हमको शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हमारी उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर तारबन्दी करवाने एवं झाली लगवाने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

4. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 10.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने अनाधिकार रूप से हमारी जमीन की सीमा के अन्दर तारबन्दी करवाने एवं झाली लगवाने के लिये खम्भे खड़े करने हेतु खोदे गये खड्डो में मिट्टी डालकर बन्द कर दिये एवं हमारी जमीन पर रोड़ निर्माण कराने की ऐलानियां धमकी दी और समझाईश करने लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित हम वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रोड निर्माण नही करावें, न कब्जा करे, न बाड़ ध्वस्त करें, न हम वादीगण को हमारी खातेदारी की भूमि से बेदखल करे, न नुकसान पहुँचावे तथा हमारी उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर तारबन्दी करवाने एवं झाली लगवाने में कोई रूकावट पैदा नही करे, हमको हमारी खातेदारी व कब्जेसुदा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही होने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादी को साक्ष्यवादी के पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यवादी गवाह पेश नही करने पर साक्ष्वादी की स्टेज बंद कर दावा बहस सुनी गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। वि[illegible]धिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 1169, 1168 किता 2 कुल रकबा 0.6798 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में रोड़ निकलवाने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण अतिक्रमी हो बेदखल करने के लिए नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 1169, 1168 किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.6798 हैक्टेयर भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. बद्रीलाल पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

1/1 पन्नालाल पिता बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

1/2 रतनलाल पिता बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

1/3 कृष्णा पत्नी नारायण कुम्हार पुत्री बद्रीलाल कुम्हार निवासी वानिन्दा तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ।

1/4 पारस पुत्री बद्रीलाल पत्नी कालु कुम्हार निवासी रघुनाथपुरा चितौड़गढ।

1/5 गीता पुत्री बद्रीलाल पत्नी अशोक निवासी नया गांव देसुरी जिला पाली।

1/6 सीता पुत्री बद्रीलाल कुम्हार पत्नी भेरूलाल निवासी अनोपपुरा तहसील भोपालसागर जिला चितौड़गढ।

1/7 उदीबाई पत्नी बद्रीलाल कुम्हार निवासी भावली तहसील मावली।

2. माधुलाल पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. रामेश्वर पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. हंसराज पुत्र बालु जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. नारायण पिता भेरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. शंकर पिता भेरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. गोरधन पिता अमरा जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या : 216/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/521

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 1169, 1168 किता 2 कुल रकबा 0.6798 हैक्टेयर भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:26 IST
Reason: SelfAttested